

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़(राज0)

संख्या 59/2022

निर्णय दिनांक - 06/05/2022

1. कैलाशचन्द्र पिता दल्लीचंद जी जाति कुमावत निवासी निम्बाहेडा ।
2. राधेश्याम पिता दल्लीचंद जी जाति कुमावत निवासी खोडिप ।
3. सागरमल पिता रामरतन जी कुमावत निवासी खोडिप ।
4. मु. गोदावरी बाई देवा दल्लीचंद जी कुमावत, निवासी खोडिप ।
5. मु. पुष्पादेवी देवा रामरतन जी कुमावत निवासी खोडिप ।
6. श्रीमती मंजू पुत्री रामरतन जी कुमावत निवासी खोडिप ।
7. श्रीमती यशोदा पुत्री रामरतन जी कुमावत निवासी खोडिप ।

प्रार्थीगण

/ बनाम /

1. शान्तिबाई पत्नी हरीशचन्द्र जी जाति सुधार, निवासी निम्बाहेडा ।
2. भागीरथ पिता रामलाल जी जाति माली, निवासी निम्बाहेडा ।
3. लक्ष्मीनारायण पिता गज्जा जी जाति खटीक, निवासी निम्बाहेडा ।
4. हिम्मत पिता बगदीराम जी जाति खटीक, निवासी निम्बाहेडा
5. शम्भूलाल पिता बगदीराम जी जाति खटीक, निवासी निम्बाहेडा
6. राधेश्याम पिता बद्रीलाल जी जाति खटीक, निवासी निम्बाहेडा
7. निर्मला पत्नी दिलीप जी जाति सुधार, निवासी निम्बाहेडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई । प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात याकं मौजा निम्बाहेडा पटवार हल्का निम्बाहेडा तह निम्बाहेडा की खाता संख्या 206 आ0न0 1494 रकबा 0.4600 हे. की पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है । विपक्षी प्रार्थी की भूमि पडोसी हैं । प्रार्थी का रिकार्ड मे प्रश्नगत भूमि खातेदार काश्तकार हैं जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तहसीलदार निम्बाहेडा को

/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए मौके पर कोई विवाद नही होने की स्थिति मे, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाकं मौजा निम्बाहेडा पटवार हल्का निम्बाहेडा तह निम्बाहेडा की खाता संख्या 206 आ0न0 1494 रकबा 0.4600 हे. की किसी भी पक्ष में कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढी करें । पत्थरगढी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें ।

आज दिनांक 06.05.2022 को मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से जारी किया गया ।



उपखण्ड अधिकारी  
निम्बाहेडा (चित्तौड़गढ़)